रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 1970/आषाढ 4, 1892
No. 118] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1970/ASADHA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th June, 1970

G.S.R. 969.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 133/68-Central Excises, dated the 22nd June, 1968, namely:—

In the first paragraph of the said notification,—

(i) after the words "refined diesel oil", the words "and diesel oil, not otherwise specified" shall be inserted; and

(ii) after the word, letters and figures "Item No. 8", the words, letters and figure "or Item No. 9, as the case may be", shall be inserted.

[No. 142/70.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 जून, 1970.

सा० का० नि० 969 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 133/68—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22 जून, 1968, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में :—

(i) "परिष्कृत डीजल तैल" शब्दों के पश्चात् "और अन्यथा अविनिर्दिष्ट डीजल तेल शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ; और

(ii) "मद सं० 8" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात् "या मद सं० 9, जैसी भी स्थिति हो" शब्द, अक्षर और अंक अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 142 170]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970